रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 217] नई दिल्ली, शनिवार, जून 28, 1975/आषाढ 7, 1897
No. 217] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 28, 1975/ASADHA 7, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

ORDER

New Delhi, the 28th June 1975

S.O. 283(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities At, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by section 3 of the said Act to make orders to provide for matters specified in clauses (c), (d), (f), (h), (i) and (j) of sub-section (2) of that section shall, in relation to the cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Government of Tamil Nadu in that State.

This order shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India and shall remain in force upto and inclusive of the 30th September, 1975.

THE SCHEDULE

Variety of Cattle Fodder.

Wheat bran.

[No. 32-1/75-LD-3.]

I. J. NAIDU, Addl. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 1975

का० आ० 283 (अ).—वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उस धारा की उप धारा (2) के खण्ड (ग), (घ), (च), (ज), (झ) तथा (ङ) के अधीन इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट संवर्गों के किसी पशु चारे की बाबत आदेश करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा इसको प्रदत्त शक्तियां तमिल नाडु राज्य की सरकार द्वारा उस राज्य में प्रयोज्य होंगी ।

यह आदेश भारत सरकार के राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगा और 30 सितम्बर, 1975 तक और उस तारीख को सम्मिलित करते हुए प्रवृत बना रहेगा ।

अनुसूची

पशु चारे की किस्म

गेहूं की चोकर

[सं० 32-1/75 एल०डी०-3]

आई० जे० नायडू, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975